International Journal of Arts, Humanities and Social Studies

ISSN Print: 2664-8652
ISSN Online: 2664-8660
Impact Factor: RJIF 8.31
IJAHSS 2025; 7(2): 363-367
www.socialstudiesjournal.com
Received: 08-09-2025
Accepted: 13-10-2025

महेश कुमार पिन्टू
राजनीति विज्ञान विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,
मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
महेश कुमार पिन्टू
राजनीति विज्ञान विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,
मधेपुरा, बिहार, भारत

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विश्लेषण

महेश कुमार पिन्टू

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26648652.2025.v7.i2e.323

सारांश

समाज में महिलाओं की स्थिति, रोज़गार और उनके द्वारा किया गया कार्य किसी राष्ट्र की समग्र प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के बिना, किसी देश की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। महिलाओं की अधिकांश घरेलू भूमिका आर्थिक गतिविधियों और परिवार के लिए जुड़ी होती है। अब महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और अधिक जिम्मेदारी से निभाने की आवश्यकता है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए और सरकारों व समाज को महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके लिए, स्थानीय स्वशासन में भागीदारी एक प्रारंभिक कदम है क्योंकि ये ग्रामीण जनता के अधिक निकट होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को हमेशा से सुशासन का एक साधन माना जाता रहा है। 73वाँ संविधान संशोधन 1992 में इस आशा के साथ किया गया था कि इससे बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे समाज के वंचित वर्ग को राजनीतिक स्थान मिलेगा। विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक स्वशासन की जमीनी इकाइयों के रूप में कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक साधन माना गया है। स्थानीय स्तर पर, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निर्णय लेने और विकास योजना तैयार करने में महिलाओं की भागीदारी के लिए दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इस संवैधानिक मान्यता ने भारत के विकेंद्रीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पंचायती राज संस्थाएं सरकार और ग्रामीण समुदायों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, स्थानीय भागीदारी को सुगम बनाती हैं और सतत विकास पहलों को आगे बढ़ाती हैं। भारत की 68.8 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए पंचायतें विकास नीतियों को लागू करने, आम जनता और उच्च स्तरीय शासन के बीच की खाई को पाटने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शोध पत्र लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व का मूल्यांकन करता है। बिहार सरकार वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दे रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय लोकतंत्र का बुनियाद कहा गया है। इसलिए जब इन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तब महिलाओं का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। यह शोध पत्र बिहार में ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करता है।

कुटशब्द: संविधान, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय शासन, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

भारत अपनी स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस दौरान देश ने स्वशासन में अभूतपूर्व प्रगति की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपने विकास के दौरान, तृतीय-स्तरीय संस्थाएँ- पंचायती राज संस्थाएँ और शहरी स्थानीय निकाय -शासन को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में उभरी हैं। दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग के रूप में विख्यात, भारत का विकेंद्रीकृत शासन ऐसे समय में कुछ आशा की किरण जगाता है जब दुनिया भर के लोकतंत्र पीछे हट रहे हैं। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी लगभग आधी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमें उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। महिलाओं को समाज में उनका दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें गैर-सरकारी संगठन और विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे महिलाओं को प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण रखने का अवसर मिलता है और अन्य महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं। चूँकि भारत की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, इसलिए उन्हें लैंगिक समानता के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय राजनीति में समान रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी (सुप्रिया 2025, पृष्ठ संख्या-8)। राजनीति में महिलाएं अन्य महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी बोल सकती हैं और अन्य महिलाओं की बेहतरी के लिए उपाय सुझा सकती हैं। पंचायतें शुरू से ही कई भारतीय गाँवों की रीढ़ रही हैं। महात्मा गांधी हमेशा पंचायत राज के समर्थक रहे और उनका यह सपना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है, के ज़रिए साकार हुआ।

इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों सहित कुल एक-तिहाई सीटें महिलाओं को प्रदान की गई। इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत कुल अध्यक्ष पदों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण भारत के जमीनी लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा इस निर्णय-निर्माण प्रणाली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। यह प्रक्रिया इस विशिष्ट निर्णय-निर्माण प्रणाली में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। हाल के समय में भी, पंचायतें समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को राजनीतिक जागरूकता, आत्मविश्वास और क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक मुद्दों में उनकी भागीदारी बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में देखा गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 उत्प्रेरक साबित हुआ, जिसने 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं को भारत के स्थानीय प्रशासन में नेतृत्वकारी पदों पर पहुँचाया (वेंकटसु 2009, पृष्ठ संख्या-790)। इन संशोधनों ने, अन्य बातों के अलावा, पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों और महत्वपूर्ण पदों के आरक्षण के साथ, सत्ता की बागडोर जनता को सौंप दी। उपरोक्त के अलावा, इन संशोधनों ने सभी राज्यों के लिए ग्राम पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराना अनिवार्य बना दिया और इन निकायों को स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियाँ करने का अधिकार दिया। अब तक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का मानदंड बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। बिहार जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब अधिक से अधिक महिलाएँ उन वार्डों में विजयी हो रही हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं थे।

बिहार विधानसभा में एक नया बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 पारित किया गया था। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण ने एक तरह की सामाजिक क्रांति की नींव रखी, जिसे बाद में कई अन्य राज्यों ने भी अपनाया। नए अधिनियम में कहा गया कि अध्यक्षों सहित हर स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत सीटें, लेकिन उससे अधिक नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है। पंचायतों ने विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी को सशक्त बनाया है (कुमार और ज्योत्सना 2016, पृष्ठ संख्या-440)। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया है। आज, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों की बहुत बड़ी संख्या में बहनें और बेटियाँ बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रही है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र विविध समुदायों के समावेश से फलता-फूलता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून भी बनाया है। इससे देश भर की महिलाओं को लाभ होगा। देश की बहनों और बेटियों को विधायी निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास

भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सुशासन और विकास के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। देश में गरीबी से निपटने और सतत विकास के लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण एक प्रमुख घटक है, जिसमें कुछ कार्यों और संसाधनों का अधिकार राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता कई स्रोतों से आई है। सबसे पहले, यह स्थानीय प्रशासन इकाइयों द्वारा भोजन, आवास और पानी जैसी बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति की आवश्यकता से प्रेरित है। दूसरे, विकासशील देशों में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी से दूर, दूरस्थ शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा और उन्हें समग्र रूप से राष्ट्र से जोड़ना होगा। तीसरे, कई देशों में सामाजिक विविधताएँ जातीय, भाषाई और धार्मिक मतभेदों के रूप में प्रकट होती हैं। क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप प्रशासन का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। चौथे, क्षेत्रीय और स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय विकास उद्देश्यों के लिए तभी किया जा सकता है, जब प्रशासन क्षेत्रों और बस्तियों तक पहुँचे। इसलिए, विकेंद्रीकरण स्थानीय प्रतिक्रियाओं की सहायता से स्थानीय नियोजन और विकास को सुगम बनाता है जिससे बेहतर विकास परिणाम प्राप्त होते हैं। पाँचवें, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण का अपना महत्व है। राजनीतिक रूप से, विकास गतिविधियों में स्थानीय भागीदारी, गहन प्रतिक्रिया के साथ, स्थानीय मांगों की सार्थक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है (ठाकुर 2010, पृष्ठ संख्या-5)।

पंचायती राज संस्था (पीआरआई) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पीआरआई को संवैधानिक रूप दिया गया और देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राज संस्था ने 32 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हालाँकि, जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संविधान लागू होने के बाद, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। हालाँकि, पंचायतों को संविधान में शामिल करने पर तत्कालीन निर्णयकर्ताओं द्वारा सर्वसम्मति से सहमति नहीं जताई गई थी, तथा इसका प्रमुख विरोध स्वयं संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर की ओर से आया था। ग्राम पंचायत के समर्थकों और विरोधियों के बीच काफी विचार-विमर्श के बाद पंचायतों को अंततः संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 के रूप में स्थान मिला। चूंकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं हैं, इसलिए परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में इन निकायों की एक समान संरचना का अभाव रहा (सिंह और श्रीवास्तव 2022, पृष्ठ संख्या-10)। स्वतंत्रता के बाद, विकास पहल के रूप में, भारत ने अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना के प्रमुख प्रभाव के तहत, 2 अक्टूबर, 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को लागू किया था। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियां शामिल थीं, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की मदद से क्रियान्वित किया जाना था। 1953 में, सीडीपी की प्रस्तावना के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी शुरू की गई। लेकिन इस कार्यक्रम से कोई खास परिणाम नहीं निकला।

सी.डी.पी. की विफलता के कई कारण थे, जैसे नौकरशाही और अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी की कमी, प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों की कमी, और स्थानीय निकायों, विशेषकर ग्राम पंचायतों की सी.डी.पी. के कार्यान्वयन में रुचि की कमी। 1957 में, राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। टीम ने पाया कि सी.डी.पी. की विफलता का मुख्य कारण लोगों की भागीदारी की कमी थी। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, अर्थात् गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें (जीपी), ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां (पीएस) और जिला स्तर पर जिला परिषद (जेडपी)। इसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर, 1959 को शुरू की गई थी (मकवाना 2012, पृष्ठ संख्या-14)। असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब

आदि में भी आवश्यक कानून पारित और कार्यान्वित किए गए थे। 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति से पंचायत राज की अवधारणा और व्यवहार में नई सोच आई। समिति ने जिला परिषद और मंडल पंचायत से मिलकर दो स्तरीय पंचायत राज संस्थागत ढांचे की सिफारिश की। नियोजन विशेषज्ञता का उपयोग करने तथा प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, राज्य स्तर से नीचे विकेन्द्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में जिले का सुझाव दिया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इन्हें प्रभावी ढंग से शामिल किया।

बाद के वर्षों में पंचायतों को पुनर्जीवित करने और उन्हें नया जीवन देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की नियुक्ति की। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं हनुमंत राव समिति (1983), जी वी के राव समिति (1985), एल एम सिंघवी समिति (1986) और केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988), पीके थुंगन समिति (1989) और हरलाल सिंह खर्रा समिति (1990) (अब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-4)। जी.वी.के. राव समिति (1985) ने "जिला" को नियोजन की मूल इकाई बनाने और नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की, जबकि एल.एम.सिंघवी समिति ने पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। संविधान संशोधन का चरण 64वें संशोधन विधेयक (1989) के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से पेश किया था, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। संविधान संशोधन (74वां संशोधन) विधेयक (पीआरआई और नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक) 1990 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में सितम्बर 1991 में संविधान के 72वें संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर, 1992 में संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किए गए। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। इन संशोधनों ने संविधान में दो नए भाग जोड़े, अर्थात् भाग IX जिसका शीर्षक था "पंचायतें" (73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया) और भाग IXA जिसका शीर्षक था "नगरपालिकाएं" (74वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया) (अब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-5)। लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाइयाँ- ग्राम सभा (गाँव) और वार्ड समितियाँ (नगरपालिकाएँ) जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर, ग्राम, मध्यवर्ती ब्लॉक/तालुका/मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली (अनुच्छेद 243बी) लागू है।

बिहार में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

किसी समाज में महिलाओं को सशक्त बनाना अनिवार्य रूप से महिलाओं और वंचितों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। इसमें एक ऐसे समाज का निर्माण शामिल है जिसमें महिलाएं उत्पीड़न, शोषण, आशंका, भेदभाव और दुर्व्यवहार की सामान्य भावना के डर के बिना सांस ले सकें, जो भारत जैसे पारंपरिक पुरुष-प्रधान समाज में एक महिला का प्रतीक है। भारत के 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियमों के बाद से लैंगिक कोटा लागू होने के साथ, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत 4-5 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 50-55 प्रतिशत हो गया है। भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकारों के निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने से एक मौन क्रांति आयी है (अब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-9)। पहली बार, ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्थिति सुधारने और अपनी आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए स्थानीय शासन में भाग लेना शुरू किया। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का यह निर्णय शायद ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र में सबसे बेहतरीन नवाचार है। ग्रामीण महिलाओं की भलाई में योगदान दे रहा है। स्थानीय सरकारी संसाधनों पर नियंत्रण और महिलाओं की सामूहिक शक्ति ने महिलाओं को अपना आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास खोजने में मदद की है। नीति आयोग ने कहा है कि लैंगिक समानता और ग्रामीण महिलाओं की मुक्ति समावेशी विकास का एक प्रमुख चालक है। महिला सशक्तिकरण पर विमर्श अब कल्याणकारी लाभों की प्राप्तकर्ता के रूप में महिलाओं को देखने से आगे बढ़कर उन्हें बदलाव के सक्रिय वाहक के रूप में शामिल करने की ओर अग्रसर हो गया है। हालाँकि, महिलाओं को श्रम, अधिकारों और परिसंपत्तियों के असमान विभाजन के संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें भेदभाव और हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। यदि स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त पूर्णतः कार्यात्मक स्थानीय सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थागत स्थान उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो सशक्तिकरण प्रक्रियाएँ वादों से कम पड़ सकती हैं। ये कार्यालय आवश्यक प्रवर्तक हैं जो स्थानीय नागरिकों का सरकारी तंत्र में विश्वास बनाने में मदद करते हैं। इन स्थानों में, निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में महिलाएँ अपने कार्यों और कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए कौशल, आत्मविश्वास और क्षमताएँ प्राप्त करती हैं। वे अपनी माँगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, अपनी चिंताओं को व्यक्त करना और एक सुरक्षित वातावरण में संसाधन और सहायता जुटाना सीखती हैं।

यद्यपि समाज के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व और योजना की आवश्यकता है, फिर भी यह स्वशासन की जमीनी इकाइयों को शामिल किए बिना सफल नहीं हो सकता। ये इकाइयाँ नागरिकों-पुरुष और महिला दोनों- की सक्रिय भागीदारी, योगदान और सहभागिता सुनिश्चित करती हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कदम उठाने और उन्हें "स्वशासन" की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। 1992 में, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित स्थानीय सरकारों को सत्ता का हस्तांतरण पारित किया गया, तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था (पंचायती राज मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-2)। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शुरुआत की, जो कोई बिल्कुल नई अवधारणा नहीं थी; यह सदियों से ग्राम पंचायत के नाम से अस्तित्व में रही है। पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ज़िम्मेदार हैं। 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए पेश किया गया था जहाँ नगर निकायों को आर्थिक विकास की योजना बनाने और योजनाओं के कार्यान्वयन की शक्ति और अधिकार प्राप्त हैं। स्थानीय सरकारों को स्थायी आधार पर अधिकार और संसाधनों का हस्तांतरण किया जाता है। राज्य सरकार जनता से कर वसूलने का अधिकार स्थानीय सरकार को नहीं देती, बल्कि राज्य सरकार उन्हें धन मुहैया कराती है, करों का प्रबंधन करती है और कर्मचारियों की व्यवस्था करती है ताकि वे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें। स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायतें और नगरपालिकाएँ शामिल हैं, राज्य का विषय है। लगातार, राज्यों के विवेक पर पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्ति और अधिकार हस्तांतरित होते रहे हैं।

स्थानीय शासन, विकास और लैंगिक समानता के बीच महत्वपूर्ण संबंध की मान्यता बढ़ती जा रही है। स्थानीय प्राथमिकताओं पर ज़ोर देने में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विकासात्मक परिणामों पर प्रभाव डालती हैं और विकेंद्रीकृत शासन की भावना में सतत विकास सुनिश्चित करने में आवश्यक हैं। शोध बताते हैं कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पुरुषों की तुलना में आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया है, जिससे समावेशी और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन की सच्ची भावना में जमीनी स्तर पर सतत विकास को बल मिला है (सिंह और शौर्य 2022, पृष्ठ संख्या-9)। समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करके, परिवारों का समर्थन करने वाली नीतियों को प्राथमिकता देकर और लैंगिक समानता की वकालत करके, महिलाएँ अधिक समतामूलक और उत्तरदायी स्थानीय समुदायों के निर्माण में योगदान देती हैं। 1990 के दशक तक, भारत ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बहुत कम प्राथमिकता दी, भले ही महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। 73वें

संवैधानिक संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक संरचनाओं और पुरुष-प्रधान राजनीतिक संरक्षण की जड़ जमाए प्रणालियों को उलटने का प्रयास किया, जिससे महिलाओं को अब तक पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में जब संशोधन पेश किया गया था, तब से लिंग संबंधी संकेतक महिलाओं के सामने आने वाली गंभीर बाधाओं की ओर इशारा करते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार जमीनी स्तर की राजनीति में प्रवेश किया था। संविधान संशोधन के बाद के दशकों में, भारत ने स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखी है। इसका प्रभाव महिला नेताओं वाले गाँवों में सार्वजनिक वस्तुओं के बेहतर वितरण और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के बारे में रूढ़ियों के कमजोर होने में महसूस किया जा सकता है (पंचायती राज मंत्रालय 2025, पृष्ठ संख्या-2)।

भारत की संघीय राजनीतिक व्यवस्था सरकार के तीन स्तरों का प्रावधान करती है- राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर। स्वशासन की स्थानीय स्तर की संस्थाएं दो श्रेणियों में आती हैं: शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय और नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में पीआरआई। भारत की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा (65 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। यह पीआरआई को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण साधन बनाता है जो आबादी के काफी हिस्सों के लिए रोजमर्रा के शासन और कल्याण को प्रभावित करता है (शर्मा और हानदा 2022, पृष्ठ संख्या-36)। पंचायत प्रणाली में स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारियों के साथ गांव स्तर (ग्राम पंचायत), ब्लॉक स्तर (पंचायत समिति), और जिला स्तर (जिला परिषद) पर परिषदें शामिल हैं। इन परिषदों के सदस्य स्थानीय निवासियों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का आकार लोगों और गांवों की संख्या के संदर्भ में काफी भिन्न हो सकता है, जो विभिन्न राज्यों में देखी गई भिन्नता है। बिहार में पंचायती राज संस्था (पीआरआई) त्रि-स्तरीय संरचना का पालन करती है। पंचायती राज संस्था के सबसे निचले स्तर पर प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह के लिए ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ और अंत में ज़िला स्तर पर ज़िला परिषदें होती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत की अध्यक्षता एक निर्वाचित मुखिया करता है, और प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम कचहरी गाँव से संबंधित न्यायिक कार्य करती है। ग्राम कचहरी में भी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है, और इसका मुखिया एक सरपंच होता है।

भारत में चुनाव सिर्फ़ राजनीतिक रैलियों, घोषणापत्रों और सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत में ही नहीं जीते या हारे जाते। घरों, रसोई और दफ़्तरों में, एक खामोश मतदाता वर्ग मतदान के दिन से पहले अपनी पसंद और प्राथमिकताओं पर चर्चा करता है। समाज का यह वर्ग अक्सर मतगणना के दिन अप्रत्याशित परिणाम देता है, जिससे राजनीतिक किस्मत बनती और बिगड़ती है। ये महिला मतदाता हैं। चुनाव दर चुनाव, महिला मतदाता राजनीतिक दिग्गजों की जीत और हार में एक अहम कारक बनकर उभरी हैं। यह बात बिहार में सबसे ज़्यादा सच साबित होती है, जहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के कदम ने उन्हें महिला मतदाताओं का समर्थन दिलाया और उनकी सत्ता में लंबी अवधि तक बने रहने में मदद की (अब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-2)। बिहार में 2010 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला- दशकों में पहली बार, महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा रही। यह रुझान तब से जारी है। इस बदलाव के पीछे एक प्रमुख कारक नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण अभियान है। 2005 में सत्ता संभालने के बाद से, महिलाओं ने श्री कुमार को भारी मतों से वोट दिया है। इस तरह के समर्थन को बनाए रखने वाला एक प्रमुख कदम राज्य में शराबबंदी नीति लागू करना था। शहरी लोगों के लिए, यह भ्रमित करने वाला हो सकता है कि बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में शराबबंदी लागू करके राज्य सरकार भारी राजस्व क्यों गँवाएगी। लेकिन राजनीतिक रूप से, यह किसी मास्टरस्ट्रोक से कम नहीं रहा। वंचित महिलाओं, जो अपने पतियों की शराब की लत के कारण घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी झेलती थीं, ने श्री नीतीश कुमार की पहल का समर्थन किया और उनका समर्थन नतीजों में भी दिखाई दिया। बिहार में चुनाव जातीय गणित पर निर्भर करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में महिला मतदाता और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह मतदाता आधार जातियों और समुदायों से परे है, और महिलाएँ अक्सर चुपचाप अपने परिवारों की अवज्ञा करते हुए अपनी पसंद के नेता को वोट देती हैं। मतगणना के दिन, दावेदारों को कोई सुखद आश्चर्य या करारा झटका मिलता है।

बिहार की महिलाओं के बारे में आम धारणा यही है कि वे पितृसत्ता के अघोषित और लगभग अपरिभाषित कठोर नियमों से बंधी हैं - यानी घर के कामों तक ही सीमित रहती हैं। हालाँकि, *2006* में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए *50* प्रतिशत आरक्षण एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। यह महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने में मददगार साबित हुआ। बिहार के नक्शेकदम पर चलते हुए, *20* अन्य राज्यों ने भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) ने बिहार में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (पंचायती राज मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)। राज्य में हर पांच साल में कुल 8,442 मुखिया, इतनी ही संख्या में सरपंच, 11,566 पंचायत समिति सदस्य, 1,162 जिला परिषद सदस्य और 1.58 लाख पंचायत वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। उनमें से, 50 प्रतिशत कोटा के अनुपालन में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 71,046 है।

राज्य की महिलाएँ निर्वाचित जन प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करके सामाजिक बाधाओं और अपनी रूढ़िवादी छवि को चुनौती दे रही हैं। आज उनकी आवाज़ 18 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक मुखर हो गई है।

बिहार में 2021 के पंचायत चुनाव के पहले चरण में विभिन्न पंचायत पदों के लिए 15,328 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें 9,093 महिलाएँ थीं, यानी 52.79 प्रतिशत। दूसरे चरण के लिए 76,279 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें 40,168 महिलाएँ थीं, यानी 52.65 प्रतिशत (सुप्रिया 2025, पृष्ठ संख्या-11)। इस पंचायत चुनावों में प्रथम दो चरणों में महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से काफी अधिक रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में बढ़ती जागरूकता को देखते हुए यह रुझान अधिक था जो पिछले पंचायत चुनावों के साथ-साथ विधानसभा और लोकसभा के मतदान पैटर्न में भी परिलक्षित हुआ था। 2021 के पंचायत चुनावों में बिहार में 1,36,573 पंचायत प्रतिनिधियों में से 71,046 महिलाएँ थीं। यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 52.025 प्रतिशत है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि बिहार के ग्रामीण शासन में लैंगिक असंतुलन दूर हो गया है, लैंगिक रूढ़िवादिता टूट रही है और इससे धीरे-धीरे यह आशंका भी समाप्त हो जाएगी कि महिलाओं को अपने पतियों की प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जाता है। महिलाओं के सशक्तीकरण ने बदलाव लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे न केवल जमीनी स्तर की राजनीति में पुरुष-प्रधान माहौल को बदलने में मदद मिलेगी, बल्कि कार्यबल में उनकी बहुप्रतीक्षित भागीदारी में भी सुधार होगा। बिहार में महिला साक्षरता दर 2005-06 में मात्र 37 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गई, हालाँकि यह अभी भी देश में सबसे कम है, और नई जनगणना में इसके और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर भी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा रही है। 2020 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण बिहार में महिला साक्षरता दर 58.7 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 75.9 प्रतिशत थी। लोकसभा चुनावों के दौरान बिहार में कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 9 प्रतिशत से भी कम होने के बावजूद, उन्होंने पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक उत्साह दिखाया। 18वीं लोकसभा चुनाव में राज्य में हुए कुल 57.46 प्रतिशत मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत थी, जबकि बिहार में लिंगानुपात प्रतिकूल है (सुप्रिया 2025, पृष्ठ संख्या-4)। 2020 के विधानसभा चुनावों में भी, महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग 60 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों का सिर्फ़ 54.6 प्रतिशत। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण ने निश्चित रूप से उनके सशक्तीकरण में योगदान दिया है, क्योंकि 2006 से उनके मतदान व्यवहार में बदलाव आया है।

वर्ष 2010 से लगातार महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इसने लैंगिक भागीदारी और समानता के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत

किया है और अब जमीनी स्तर की राजनीति में उनकी भागीदारी से ऊपर की ओर दबाव बनेगा और आरक्षण के साथ या उसके बिना उनके लिए अधिक जगह बनेगी। उत्साह का आलम यह है कि ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण आजीविका परियोजना, जीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के पदों से कई महिलाओं ने इस्तीफा दे दिया है। वे पंचायत चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले ही जीविका समूह से इस्तीफा दे दिया। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और सत्ता व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 2006 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के बाद, प्रत्येक पंचायत चुनाव में महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई क्योंकि प्रत्येक पंचायत चुनावों में ग्रामीण महिलाओं में पिछले चुनावों की तुलना में ज़्यादा उत्साह बढ़ता गया। 2021 ग्रामीण निकाय चुनाव में 1,36,573 पंचायती प्रतिनिधियों की कुल संख्या है जिनमें से 71,046 महिला प्रतिनिधियों की संख्या है यानी कि महिला प्रतिनिधित्व 52.025 है।

निष्कर्ष

भारत का संविधान पंचायतों को ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक रूप दिया है और यह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और स्थानीय संस्थाओं को मजबूती और स्थिरता देने की दिशा में एक कदम है। ये ऐतिहासिक प्रकृति के हैं क्योंकि इनमें हमारे लोकतंत्र के मौजूदा चरित्र को बदलने की क्षमता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सरकार के विभिन्न स्तरों अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में शक्ति और अधिकार का विभाजन है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक शक्तिशाली विकेंद्रीकरण तब होता है जब अधिक लोग शासन में योगदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण दृढ़ता से स्थापित हो चुका है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के परिणामस्वरूप स्थानीय लोकतंत्र गहरा हुआ है, राजनीतिक भागीदारी व्यापक हुई है और प्रतिनिधित्व विविध हुआ है। विकेंद्रीकरण ने एक संस्थागत क्षेत्र प्रदान किया है जहाँ स्थानीय आबादी स्थानीय सरकार के निर्णय लेने में भाग ले सकती है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया ने अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को ग्रामीण और शहरी शासन के लिए अधिक जिम्मेदारी संभालने का अवसर दिया है। विकेंद्रीकृत शासन की नई प्रणाली ने निरंतरता का एक तत्व प्रदान किया है और जमीनी स्तर पर भागीदारी प्रक्रिया को बढ़ाया है। महिला सशक्तीकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी देना और प्रतिनिधि निकायों में सत्ता साझा करना, रोजगार, संपत्ति तक पहुँच, उत्पादक संपत्ति, सार्वजनिक भूमि और वित्तीय संपत्ति आदि। बिहार में सुधार भारत में अपनी तरह का पहला है। चुनाव सुधार से संबंधित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कोई अन्य देश नहीं है जहाँ स्थानीय शासन ने पचास प्रतिशत आरक्षण को अपनाया है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो ग्राम स्तर पर शासन का एक विकेन्द्रीकृत स्वरूप है। संवैधानिक प्रावधानों और राज्य नीतियों के माध्यम से उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। पंचायतों में निर्वाचित महिलाएँ स्थानीय विकास, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधन आवंटन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। इससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। महिला नेता अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास में योगदान देती हैं।

संदर्भ सूची

1. सुप्रिया, स्वीटी (2025), बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के परिणाम, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के परिणाम, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, खंड-60, अंक-20, पृष्ठ संख्या- 1-14
2. पंचायती राज मंत्रालय (2025), जन योजना अभियान: जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, URL: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2175077
3. वेंकटसु, ई. (2009), पंचायती राज संस्थाएँ और सेवाओं के विकेन्द्रीकृत वितरण में समस्याएँ: गुजरात का एक क्षेत्र आधारित अध्ययन, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, खंड-70, अंक-3, पृष्ठ संख्या- 787-800
4. कुमार, के. अनिल और ज्योत्सना, के. यामिनी (2016), पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, खंड-77, अंक-4, पृष्ठ संख्या- 437-444
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2025), सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय शासन पर ध्यान केंद्रित किया गया, URL: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage
6. ठाकुर, मिन्नी (2010), पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, नई दिल्ली : कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी
7. पंचायती राज मंत्रालय (2024), पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, URL: https://www.pib.gov.in/PressRelease
8. सिंह, आकांक्षा और श्रीवास्तव, शौर्य (2022), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएँ, इकोनोमिक और पोलिटिकल वीक्ली, खंड-57, अंक-3, पृष्ठ संख्या-1-20
9. अब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (2024), भारत में स्थानीय ग्रामीण सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव और चुनौतियों का आकलन, URL: https://www.orfonline.org/research/elected-women-representatives-in-local-rural-governments-in-india-assessing-the-impact-and-challenges
10. मकवाना, रमेश एच॰ (2012), पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, नई दिल्ली : एबीडी पब्लिकेशन
11. शर्मा, अश्विनी और हानदा, सन्निया (2022), पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, खंड-6, अंक-3, पृष्ठ संख्या-35-38